UPMZ010055632026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2181 सन 2026

मौहम्मद कैफ पुत्र निजामुददीन
निवासी ग्राम फुलत थाना रतनपुरी,
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—56 सन 2026
धारा—109 (1), 191 (2), 191(3), 115(2),
351(3), 352, 333, 117(2)
भारतीय न्याय संहिता
थाना—रतनपुरी
जनपद— मुजफ्फरनगर

17.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना रतनपुरी के अपराध संख्या—56 सन 2026 धारा—109 (1), 191 (2), 191(3), 115(2), 351(3), 352, 333, 117(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त कथित घटना के समय घ ाटनास्थल पर मौजूद नहीं था बल्कि वह अपने निजि काम से गांव से बाहर था। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि कथित चुटैल की कोई चोट खतरनाक नहीं है बल्कि साधारण प्रकार की है। सुनवाई के स्तर पर यह भी कहा गया है कि चुटैल को चोट संख्या 1 को कटे हुए घाव की 3.5 X 0.5 स्कैल्प डीप की दिखायी गयी है जो बोन डीप न होकर स्कैल्प डीप है तथा उक्त चोट सुपरफिशियल है जो प्राणघातक नहीं है। यह भी कहा गया है कि

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.17 17:35:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चिकित्सीय परीक्षण के समय चुटैल पूर्णतया होश में था। उसकी जनरल कंडीशन फेयर थी न कि पूअर। उसका ब्लडप्रेशर, पल्स रेट इत्यादि भी नॉर्मल थी। यह भी कहा गया है कि चुटैल को नजल बोन का फ्रैक्चर दिखाया गया है जिसके संदर्भ में आवेदक/अभियुक्त की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था (2019) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रि) 29 छम्पालाल धाकड बनाम नवन सिंह राजपूत व अन्य का हवाला देते हुए कहा गया है कि नजल बोन का फ्रैक्चर होने पर धारा 307 भारतीय दंड संहिता का कोई अपराध नहीं बनता है। यह भी कहा गया है कि चुटैल के बीएचटी के अनुसार चुटैल सर्जिकल वार्ड में भर्ती रहा है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वादी मुकदमा व अभियुक्तगण के परिवार के बीच एक सिविल वाद विचाराधीन है जिसमें वादी अपने फेवर में मुल्जिम व उसके परिवार को मजबूर करके समझौता चाहता है। इसलिये आवेदक/अभियुक्त का नाम अन्य परिजन के साथ लिखाया गया है। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के परिवार द्वारा वादी मुकदमा के परिजन के विद्व व कथित घटना के कथित पीडित के विरूद्व अपराध संख्या 230 सन 2025 अंतर्गत धारा 352, 332, 115 (2), 352 (2) भारतीय न्याय संहिता थाना रतनपुरी पर पंजीकृत है जिस कारण वादी मुकदमा आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवार से रंजिश रखता है।

अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व जो दो मामलों का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है उसमें अपराध संख्या 17 सन 2024 में आवेदक/अभियुक्त बरी हो चुकी है तथा अपराध संख्या 38 सन 2026 के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है और न ही कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, खारजा आदेश दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। आवेदक/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में घर के दरवाजे के विवाद को लेकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर वादी मुकदमा के भाई अलीम को गंभीर प्रकृति की चोटें पहुंचायी गयी हैं। आयी चोटों के कारण चुटैल अलीम दिनांक 15.04.2026 से 21.04.2026 तक जिला अस्पताल मुजफफरनगर में भर्ती रहकर उपचाराधीन रहा है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी। वादी मुकदमा की ओर से शपथ पत्र वादी मुकदमा मौ. वसीम मलिक प्रस्तुत किया गया तथा आपत्ति करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त कैफ घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था। उसने अपने हाथ में लिये सरिया घातक हथियार से चुटैल अलीम मलिक के

मर्मस्थल सिर व नाक पर गंभीर चोटें पहुंचायी हैं। एलिबाई का कोई साक्ष्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि चुटैल अलीम को प्राणघातक चोटें जान से मारने की नीयत से पहुंचायी गयी हैं तथा वह सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा है तथा आवेदक/अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त सरिये की बरामदगी की गयी है। आवेदक/अभियुक्त का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है। वादी मुकदमा की ओर से चुटैल का सीएचसी खतौली की रेफर स्लिप की प्रति, जिला अस्पताल मुजफफरनगर की डिस्चार्ज स्लिप की प्रति, अपराध संख्या 38 सन 2026 की चिक एफआईआर की प्रति, मा. उच्च न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन संख्या 110 सन 2026 सिराजुददीन आदि बनाम स्टेट ऑफ यूपी आदि की नैट के माध्यम से जेनरेट प्रति दाखिल की गयी है।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा मौ. वसीम मलिक द्वारा घटना दिनांकित 15.04.2026 समय 19.00 बजे के संबंध में दिनांक 15.04.2026 को समय 22.59 बजे संबंधित थाना रतनपुरी पर प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त कैफ व 6 अन्य अभियुक्तगण को नामित करते हुए इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 15.04.2026 को वादी मुकदमा का भाई अलीम मलिक समय करीब सात बजे शाम अपने घर में अपनी मां व भाभी व बच्चों के साथ बैठा था। उनके सामने रहने वाले मौ0 कैफ अपनी मां जीनत के साथ उनके दरवाजे के सामने खडे होकर वादी के अब्बू शफीक को मां बहन की गालियां देते हुए कह रहा था कि वे अपने घर का दरवाजा उनकी तरफ ही निकालेंगे। जब वादी के भाई अलीम ने उससे कहा कि उस जगह का मामला कोर्ट में चल रहा है। जो कोर्ट का आदेश होगा मान लेंगे। इस पर मौ. कैफ व उसकी मां जीनत जोर जोर से गालियां देने लगी। शोर पर आसपास के लेागों ने समझा कर उन्हें घर भेज दिया। उसके थोडी देर बाद मौ. कैफ अपने साथ सिराजुददीन, सुएब, चांद, समसुददीन को लेकर वादी के घर में घुस आया और सभी लोग उसके भाई के साथ मारपीट करने लगे। सिराजुददीन, सुएब, चांद ने उसके भाई अलीम को पकड लिया और कैफ ने जान से मारने की नीयत से उसके भाई के सिर में सरिया मारा जिससे उसके भाई का सिर फट गया। जब घर की औरते चिल्लाई तो सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। वादी की बैठक में उसकी मां बैठी थी। उसके साथ जीनत व सन्नो ने मारपीट कर दी। पता लगने पर वादी घर पहुंचा व देखा कि उसका भाई अलीम का सिर फटा हुआ है और वह खून से लथपथ है। वह गांव वालों की मदद से उसे थाना लाया है। पुलिस ने उसके भाई को ईलाज हेतु खतौली भिजवा दिया। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार घर के दरवाजे को लेकर हुए विवाद में आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उददेश्य

के अग्रसरण में वादी मुकदमा के भाई अलीम मलिक को सरिये आदि से मारपीट कर चोटें पहुंचाने का आरोप बताया गया है।

विवेचना के अनुक्रम में विवेचक के द्वारा चुटैल अलीम मलिक की चिकित्सीय परीक्षण आख्या संकलित कर केस डायरी का भाग बनाया गया है जिसके अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना अंकित किया गया है:—

1. I.W. of size 3.5 x 0.5 cm x scalp deep over right side parietal region of head, 9 cm above from right ear at 12' clock position. Fresh bleeding present and KUO.
2. L.W of size 4.5 x 0.5 cm x scalp deep over top of skull crossing midline 11 cm above from root of nose surrounding swelling of size 6 cm x 3 cm and KUO.
3. TS of size 4 x 2 cm present over left side forehead, 2 cm above from root of nose.
4. TS of size 3 x 2 cm present over mid of nose and KUO.
5. Redish contusion of size 6 x 2 cm over left side of chest, 3 cm above from left nipple.
6. TS of size 9 x 4.0 cm over top of left shoulder and KUO.
7. Redish contusion of size 6 x 2 cm over left side anterior ...thigh

BP 132/82, SPO2 98%, PR 90/min

चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार चोट संख्या 1, 2, 4, 6 को जेरे निगरानी रखा गया था तथा अन्य चोटों को साधारण प्रकृति की बताया गया है।

विवेचक द्वारा जेरे निगरानी रखी गयी चोटों के संदर्भ में तैयार पूरक आख्या को केस डायरी का भाग बनाया गया है, जिसके अनुसार चुटैल अलीम मलिक को fracture of nasal bone seen अंकित किया गया है। चुटैल की किसी भी चोट को प्राणघातक नहीं बताया गया है। संबधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 38 सन 2026 अंतर्गत धारा 191 (2), 191(3), 190, 115(2), 351(3), 352, 333 भारतीय न्याय संहिता एवं अपराध संख्या 17 सन 2024 धारा 323, 427, 452, 504, 506 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत होना बताया गया है जिसके संबंध में आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि अपराध संख्या 17 सन 2024 में आवेदक/अभियुक्त दोषमुक्त किया जा चुका है जबकि अपराध संख्या38 सन 2026 के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति—युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्त **मौहम्मद कैफ पुत्र निजामुददीन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन 1,00,000/– 1,00,000/– एक–एक लाख रूपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :–

(1) आवेदक/अभियुक्त बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त यह बन्धपत्र भी दाखिल करेगा, –''आवेदक/अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(4) आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि संबंधित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(5) आवेदक/अभियुक्त कथित दरवाजे को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं करेगा।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 17.06.2026

sv